

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 178-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08

दि० 19 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- दिनांक 01.01.2006 की पुनरीक्षित वेतन संरचना में नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के कार्मिकों को निम्न तालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

ग्रेड वेतन (रु०)	नगर प्रतिकर भत्ते की दरें (रुपया)				
	I	II	III	IV	V
1900 से 3000 तक	240	180	120	80	
4200 से 4400 तक	360	270	180	120	
5400 तथा इससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्चतर वेतनमान	450	360	300	200	

* वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर।

lkn

(कमशः - 2)

(2)

2. ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के सम्बन्ध में पुनरीक्षित पे-बैंड में अनुमन्य सम्बन्धित ग्रेड वेतन से है।
3. ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं को नगर प्रतिकर भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य हैं।
4. यह आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू होंगे।
5. अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।
6. दिनांक 01.12.2008 से 31.07.2009 तक की अवधि के अवशेषों का आहरण कारपोरेशन के आदेश संख्या: 175.-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08 दि० 19 फरवरी, 2009 के प्रस्तर-20 के अनुसार अनुमन्य कराया जाएगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,



(हरिश्चन्द्र सिंह)

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या : 178 (1)-काविनी एवं वे०प्र०-29/09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।
- 2- सचिव, (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- सचिव (वित्त), वित्त विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 4- अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 5- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 9- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।

(कमश: - 3)

(3)

- 12- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 13- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 15- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 16- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 17- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मुख्यालय), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० - 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 20- कम्पनी सचिव, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को बैठक संख्या सतत्तर (55)/09 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,


(बालकृष्ण भट्ट)
अपर सचिव